कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद आगरा।

दिनाँकः—19.06.2020

पत्र संख्या—672/अधि0/स0सु/2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा—112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और जंहा उक्त अधिनियम की धारा—112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली—1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या—1377, दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1998 (अधिनियम संख्या—59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम—178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगरा जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है—

क्र0सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/थ्री व्हीलर	चलक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चलक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4, 5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	आगरा से मथुरा वाया फरह राष्ट्रीय राजमार्ग—2	मरियम टॉम (सिकन्दरा) से फरह	40 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	50 कि0मी0 प्र0घं0
2.	आगरा से सादाबाद वाया खन्दौली राष्ट्रीय राजमार्ग—509	नन्दलालपुर से खन्दौली	40 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	50 कि0मी0 प्र0घं0
3.	आगरा से जलेसर वाया खाण्डा अन्य जिला मार्ग	पुरा गोवर्धन से जलेसर वाया खाण्डा	40 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	50 कि0मी0 प्र0घं0
4.	खन्दौली से एत्मादपुर वाया मुढ़ी अन्य जिला मार्ग	खन्दौली से एत्मादपुर वाया मुढ़ी	40 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	50 कि0मी0 प्र0घं0
5.	आगरा से कचौरा घाट वाया फतेहाबाद जैतपुर राष्ट्रीय राजमार्ग—719	केला कोल्ड स्टोरेज से कचौरा घाट वाया फतेहाबाद	40 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	50 कि0मी0 प्र0घं0

6.	आगरा से पिनाहट वाया फतेहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग–719	कैला कोल्ड स्टोरेज से पिनाहट वाया फतेहाबाद	40 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	50 कि0मी0 प्र0घं0
7.	आगरा से राजाखेड़ा वाया शमसाबाद टूला अन्य जिला मार्ग	कहरई मोड़ से पार्वती नदी वाया शमसाबाद टूला	40 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	50 कि0मी0 प्र0घं0
8.	आगरा से राजाखेड़ा वाया इरादत नगर मिहावा अन्य जिला मार्ग	देवरी से मिहावा वाया इरादत नगर	40 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	50 कि0मी0 प्र0घं0
9.	आगरा से धौलपुर वाया सैंया राष्ट्रीय राजमार्ग–3	नैनानाजाट से जाजऊ	40 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	50 कि0मी0 प्र0घं0
10.	आगरा से तांतपुर होलीपुरा वाया कागारौल जगनेर अन्य जिला मार्ग	नरीपुरा से तांतपुर होलीपुरा वाया कागारौल जगनेर	40 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	50 कि0मी0 प्र0घं0
11.	आगरा से भरतपुर वाया किरावली फतेहपुरसीकरी राष्ट्रीय राजमार्ग–21	पृथ्वीनाथ फाटक से तूरकीया की नहर किरावली फतेहपुरसीकरी	40 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	50 कि0मी0 प्र0घं0
12.	आगरा से किरावली वाया विचपुरी अन्य जिला मार्ग	अवधपुरी 100 फूटा रोड से किरावली वाया विचपुरी	40 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	50 कि0मी0 प्र0घं0
13.	आगरा से जाजमपट्टी वाया विचपुरी अछनेरा अन्य जिला मार्ग	अवधपुरी 100 फूटा रोड से साधन का नगला वाया विचपुरी अछनेरा	40 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	50 कि0मी0 प्र0घं0
14.	खेरागढ़ से फिरोजाबाद वाया सैंया इरादतनगर फतेहाबाद अन्य जिला मार्ग	खेरागढ़ से वैंगनपुर वाया सैंया इरादतनगर फतेहाबाद	40 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	50 कि0मी0 प्र0घं0
15.	खेरागढ़ से फरह वाया कागारौल किरावली अछनेरा अन्य जिला मार्ग	खेरागढ़ से फरह वाया कागारौल किरावली अछनेरा	40 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	50 कि0मी0 प्र0घं0
16.	एत्मादपुर से आवलखेड़ा वाया वरहन अन्य जिला मार्ग	एत्मादपुर से आवलखेड़ा वाया वरहन	40 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	50 कि0मी0 प्र0घं0
17.	जैतपुर कलां से राजाखेड़ा वाया पिनाहट अन्य जिला मार्ग	जैतपुर कलां से पार्वती नदी वाया पिनाहट	40 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	50 कि0मी0 प्र0घं0
18.	वाह से भिन्ड वाया उदी मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग–719	वाह से उदी मोड़	40 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	60 कि0मी0 प्र0घं0	50 कि0मी0 प्र0घं0

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रभावी होगा–

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(ii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नही होगा–

अ) अग्नि शमन वाहन

ब) एम्बुलेंस।
स) पुलिस वाहन।
द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।
य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।

(iii) उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक 06.04.2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद आगरा।

पृ0सं0 672/अधि0/स0सु0/2020 समदिनांकित–
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, आगरा।
4. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, आगरा।
5. निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड–1/निर्माण खण्ड–3, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
7. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी/पश्चिमी), लखनऊ, उ0प्र0।
8. सम्पादक, दैनिक जागरण, अमर उजाला व हिन्दुस्तान की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने जनप्रिय समाचार पत्र, आगामी अंक में उक्त अधिसूचना को जनहित में न्यूनतम दर पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद आगरा।